

प्रेसनोट दिनांक 27.05.2022

1. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री अजय मिश्रा पुत्र श्यामसुन्दर मिश्रा नि० 8/286 दक्षिणीपुरी विस्तार देओली दक्षिण दिल्ली द्वारा सूचना दिया गया कि बृजेश कुमार पुत्र रामचन्द्र नि० ककरही बाजार थाना को०नगर अयोध्या। आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा जमीन विक्रय के नाम पर वादी से पैसे लेकर जमीन किसी दुसरे के नाम पर एग्रीमेन्ट कर देना पैसा वापस मांगने पर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए पैसा वापस ना करना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 401/22 धारा 406, 420, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री तारकेश्वर पाण्डेय पुत्र स्व० भुवनेश्वर नि० महजनी टोला थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि कृष्णभूषण पाण्डेय नि० मंझवा गद्दोपुर थाना कैण्ट अयोध्या। आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा दौडा लेना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 182/22 धारा 352, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 26.05.22 को वादी उ०नि० श्री अशोक सिंह थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जितेन्द्र निषाद पुत्र मेवालाल नि० निर्मलीकुण्ड थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 183/22 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री गयानाथ यादव पुत्र बेचू यादव नि० आशापुर थाना को०अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गुरुचरन नि० आशापुर थाना को०अयोध्या अयोध्या। आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 193/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री हरिदास पुत्र रामसवारे नि० भरत महल रामकोट थाना रा०ज०भू० अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि आकाश पुत्र गणेश नि० रामकोट थाना रा०ज०भू० अयोध्या। अभि० द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना रा०ज०भू० में मु०अ०सं० 22/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री सुलोचन यादव पुत्र आत्माराम यादव नि० डिहवा मड़ना थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामयज्ञ पुत्र रामखेलावन नि० मड़ना डिहवा थाना महाराजगंज अयोध्या। आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 188/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 26.05.22 को वादी उ०नि० श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पवन सिंह पुत्र स्व० रामधीरज सिंह नि० मोहरमपुर अरती थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 190/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 26.05.22 को वादी उ०नि० श्री दिवाकर थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अमित कुमार तिवारी उर्फ सोनू पुत्र भरत तिवारी नि० रामपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 100 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 191/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 26.05.22 को वादी उ०नि० श्री दिवाकर थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शहजादे पुत्र गांगे नि० नन्दरौली थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 08 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 192/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री शिवकुमार निषाद पुत्र रामशब्द नि० गंगापुर थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विनोद कुमार पुत्र मंगरू नि० गंगापुर थाना तारुन अयोध्या। आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व परिजन को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 123/22 धारा 323, 504, 506, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
11. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री काशीराम वर्मा पुत्र रामतीर्थ वर्मा नि० करनाईपुर थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अमित कुमार पुत्र पारसनाथ नि० करनाईपुर थाना तारुन अयोध्या। आदि 05 नफर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा फसल नुकसान कर देना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 125/22 धारा 147, 323, 504, 506, 452, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 26.05.22 को वादी उ०नि० श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामसूरत उर्फ सुर्ती पुत्र आशाराम नि० लोनिया चौराहा थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 228/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री जय प्रकाश पुत्र जगजीवन नि० हिसामुद्दीनपुर थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गयादीन पुत्र नीमर नि० हिसामुद्दीनपुर थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली जान माल की

धमकी देते हुए भाला से सिर पर मार देना जिससे सर फट जाना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 230/22 धारा 323, 324, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री संतोष सिंह पुत्र शिव सिंह नि0 घाटमपुर थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामगनेश पुत्र रामशंकर नि0 घाटमपुर थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा वादी का पेड़ काटना विरोध करने पर गाली व जान माल की धमकी देते हुए हमलावर होना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 231/22 धारा 504, 506, 427, 352 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 26.05.22 को वादी उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार यादव थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जगमोहन पुत्र चिनगी नि0 सुनबा थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 133/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 26.05.22 को वादी उ0नि0 श्री कर्मवीर सिंह थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जियाउलहक पुत्र मो0 याकूब नि0 सण्डवा थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 134/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री शिवपत पुत्र रामकेतार नि0 बकौली थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दिलीप पुत्र वासुदेव नि0 बकौली थाना पटरंगा अयोध्या। आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा वादी के घर में घुसकर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 88/22 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 26.05.22 को वादी श्री शिवपूजन यादव पुत्र बसंतलाल यादव नि0 भटौली थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर अज्ञात चोर द्वारा वादी की बुलेट यूपी 42 बीए 4370 चोरी कर लेना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 90/22 पटरंगा धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।